

फर्द अहकाम

( नियम 28)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

सीमती किरण देवी बनाम माधुलाल (कौरा)

कैरम मुकदमा

प्रा-एन 111-128

नं०

95

सन 2021

क्रमांक

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज.

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तारीख  
में जारी हुए

7-2)

वाद / प्रार्थनापत्र बाल जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर  
दिपक्षीयता को सम्मन नोटिस जारी किये जायें। पत्रावली दिनांक 27-8-21 को  
पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं  
सहायक कलेक्टर माण्डल

22/9

उभय पक्ष द्वारा नाम कीदारीन अधिकारी राजकीय  
कार्य से बाहर है। अवकाश पर है / पदरिक्त है।  
अतः पत्रावली दिनांक 28-9-21 को पेश हो।

रीडर

उपखण्ड अधिकारी माण्डल

1-11-21

पत्रावली प्रशासन गाँवो के लोग अभियान 2021  
केम्य वाक्की गण में पेश हुई, अपाक्षीयता के  
सम्मन वाद शामिल होकर प्राप्त हुए एवं पत्रार  
हल्का पटवारी द्वारा मॉक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिले शा.प  
दिया गया। प्रार्थना का प्रार्थना पत्र स्वीकार दिया  
जाकर निर्णय प्रत्येक से लिखा जाकर शा.प दिया  
गया। पत्रावली फेल्टल कुमार होकर नम्बर से कम  
है।

डॉ. पूजा शर्मा

उपखण्ड अधिकारी माण्डल

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांडल ( भीलवाड़ा )

पीठासीन अधिकारी :- डॉ. पूजा सक्सेना, आर. ए. एस. प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

कदमा संख्या :- 75/21 ग/अपज

श्री मा.पु.वा.त.डा. श्री ऊर्फर (मालिख) निवासी उमोदपुर तह माण्डल (कैरा) विपक्षीगण (हस्ताक्षरित) पट्टे (विपक्षीगण) --प्रार्थी

श्री मा.पु.वा.त.डा. श्री ऊर्फर (मालिख) निवासी उमोदपुर तह माण्डल (कैरा) विपक्षीगण (हस्ताक्षरित) पट्टे (विपक्षीगण)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

::आदेश::

दिनांक 1.11.21

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा. भू.रा. अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर देन किया कि ग्राम किराडिया पटवार हल्का वापसी तहसील मांडल/में उसके खते /संयुक्त खातों की आराजी नं. 362/1 959/361 कुल किता 02 रकबा 0-6323 हेक्टेयर — स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मालिख के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते संयुक्त खाते की भूमि की पत्थर गद्दी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 23.7.21 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को बलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगद्दी करने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा-फैरी होने का अंदेश नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक ब्रह्मान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम किराडिया पटवार हल्का वापसी तहसील मांडल में स्थित आराजी नं. 362/1 959/361 कुल किता 02 रकबा 0-6323 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगद्दी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगद्दी किये जाने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक भूपति को 500/- रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बन्दु को आधार मानकर पत्थरगद्दी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थर गद्दी नहीं की जावे।

डॉ. पूजा सक्सेना

उपखण्ड अधिकारी

मांडल, जिला - भीलवाड़ा

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

तिलिपि :- तहसीलदार मांडल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगद्दी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी

मांडल, जिला - भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021